झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 7351 वर्ष 2013

नागपुरिया संघ, एक सोसायटी, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृतहै, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा में है, द्वारा इसके सचिव तपेश्वर प्रसाद सिंह, स्वर्गीय द्वारिका सिंह के पुत्र, ग्राम–ठाकुर टोली, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा (झारखंड) ... ... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उपायुक्त, सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा

3. अनुमण्डल अधिकारी, सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा

4. अंचलाधिकारी, सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री संदीप वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिएः श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता।

07/07 जनवरी, 2021

मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। दृश्य और श्रव्य गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसके तहत अनुमण्डल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा जारी किए गए नोटिस दिनांक 03.12.2013 को रद्द करके प्रतिषेध की रिट जारी करने के लिए राहत मांगी गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्त्ता को एक आदेश पारित किया है, उसे निर्देश दिया गया है कि वह मौजा–सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा में स्थित खाता संख्या 72 के भूखण्ड संख्या 3/3131 के हिस्से के रूप में 0.15 दशमलव माप वाली भूमि पर खड़े स्कूल को बंद कर दे जिसे 1997 से याचिकाकर्त्ता के समाज द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जा रहा है।

श्री संदीप वर्मा, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अनुमण्डल अधिकारी ने घोर अवैधता की है और इस तरह के नोटिस जारी करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से इस तथ्य पर विचार किए बिना पार कर लिया है कि स्कूल 1997 से चलाया जा रहा है।

वह आगे कहता है कि उपरोक्त भूमि के समझौता के लिए, याचिकाकर्त्ता द्वारा एक अनुरोध किया गया था जो राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन उक्त निर्णय के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, नोटिस जारी करने को उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, आक्षेपित नोटिस को खारिज एवं अपास्त किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार नंबर 3, झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रति शपथ पत्र में प्रतिवादी–राज्ञज्य झारखण्ड द्वारा उठाए गए तथ्य के साथ–साथ उल्लेख करते हुए मामला का विरोध है कि नोटिस जारी करने की तारीख तक याचिकाकर्त्ता के पक्ष में भूमि का कोई ऐसा समझौता नहीं की गई है, हालांकि, जैसा कि प्रति शपथ पत्र के पैरा–11 में कहा गया है, उपायुक्त, सिमडेगा ने पत्र संख्या 453 (II)/राजस्व दिनांक 05. 05.2016 के द्वारा सचिव, राजस्व पंजीकरण और भूमि विभाग, झारखंड, रांची को .41 एकड़ भूमि को याचिकाकर्त्ता के सोसायटी के पक्ष में समझौता/आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा है।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, प्रति शपथ पत्र के पैराग्राफ–11 के तहत झारखण्ड के प्रतिवादी–राज्य द्वारा लिए गए ऐसे स्टैंड के मद्देनजर, यह कहते हैं कि उन्हें उस भूमि के समझौता/आवंटन के लिए मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, जो राजस्व पंजीकरण और भूमि विभाग, झारखंड सरकार के समक्ष इसके विचार के लिए लंबित है।

इस पर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है।

पूर्वोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ता के दावे की योग्यता में प्रवेश किए बिना और प्रति शपथ पत्र के पैरा–11 में किए गए प्रक्कथन को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त और उचित इस प्रभाव तक मानता है कि उसे मामले को समझौता/आवंटन हेतु

आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी जा सकती है यदि मामले पर अभी तक समझौता नहीं किया गया है।

इसके मद्देनजर, विभागीय स्तर पर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्त्ता को स्वतंत्रता देकर याचिकाकर्त्ता के दावे की योग्यता में प्रवेश किए बिना इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

राजस्व पंजीकरण और भूमि विभाग, झारखंड सरकार को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पक्षपात किए बिना कानून के अनुसार निर्णय लेना है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)